प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.....भ्र0 नि0 ब्यूरो, चौकी सवाई माधोपुर...थाना..... प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर..
(प्र.सू.रि.स.) .....305/2023.....दिनांक) .....9/12/2023.....
2. (अ) अधिनियम . 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें. 120 बी. भा.द.सं
(ब) अधिनियम .....धारायें..... .....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....827.....समय.....05:55 P.M.....
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक .....शुक्रवार 08.12.2023 / 10:20 पी.एम.....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक .....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित रिपोर्ट
5. घटनास्थल..... हम्मीर सर्किल सवाई माधोपुर के पास सर्किट हाउस रोड.....
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी....बजानिव दिशा पूर्व, दूरी करीब 03 कि.मी...
(ब) पता .....बीट सख्या .....जरायम देही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम .....श्री उमाशंकर जांगिड.....
(ब) पिता / पति का नाम .....श्री कैदार प्रसाद.....जाति.....जांगिड .....
(स) जन्म तिथि / वर्ष ..... 45 वर्ष.....
(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय.....
(ल) पता.....निवासी राजनगर ए, बजरिया, सवाई माधोपुर.
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
01. अजय प्रकाश सिंह पुत्र रामजी सिंह निवासी मकान नंबर 08 / 180–10ए राजेन्द्र विहार कॉलोनी, नेवादा (सुन्दपुर) वाराणसी उत्तरप्रदेश हाल वरिष्ठ भूवैज्ञानिक करौली, अतिरिक्त चार्ज, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर।
02. आलोक सिंह पुत्र मलखान सिंह उम्र 27 वर्ष, राजपूत निवासी झिरी, पुलिस थाना सरमथुरा, जिला धोलपुर हाल चालक प्राईवेट वाहन बोलेरो (प्राईवेट व्यक्ति)
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–.....कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
.....40,000 / –रू0 रिश्वत राशि .....

परिवादी उमाशंकर द्वारा किये जा रहे कार्य जयपुर डिस्कॉम एक्शन बोलीं की सरकारी विल्डिंग का निर्माण कार्य के दौरान मौके पर पडी रवान्नाशुदा बजरी को देखकर अजय प्रकाश सिंह वरिष्ठ भूवैज्ञानिक द्वारा पेलेन्टी लगाने की धमकी देकर कोई कार्यवाही नही करने के एवज में एक लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग करना एवं वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 07.12.23 को आरोपी अजय प्रकाश सिंह द्वारा परिवादी से एक लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग करना तथा परिवादी द्वारा राशि कम करने की कहने पर आरोपी 50,000 / – रूपये अपने ड्राईवर को देने हेतु कहा तथा उक्त मांग के अनुसंरण में दिनांक 08.12.2023 को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी अजय प्रकाश सिंह के कहे अनुसार उसके चालक आलोक सिंह को हम्मीर सर्किल के पास सर्किट हाउस रोड पर 40,000 / – रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडा गया। आरोपित अजय प्रकाश सिंह पुत्र रामजी सिंह वरिष्ठ भूवैज्ञानिक को ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने से फरार हो गया। अतः आरोपित अजय प्रकाश सिंह पुत्र रामजी सिंह, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक हाल फरार का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित 2018) अधिनियम 1988 व 120 बी भा.द.स तथा आरोपी आलोक सिंह पुत्र मलखान सिंह उम्र 27 वर्ष, राजपूत निवासी झिरी, पुलिस थाना सरमथुरा, जिला धोलपुर हाल चालक प्राईवेट वाहन बोलेरो (प्राईवेट व्यक्ति) का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित 2018) अधिनियम 1988 व 120 बी भा.द.स में गिरप्तार किया गया है।

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
.....40,000 / –रू0 रिश्वत राशि .....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) .....नहीं.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये):–

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, एसीबी सवाई माधोपुर, विषयः– रिश्वत लेते हुये अधिकारी व कर्मचारी को रंगे हाथो पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं उमाशंकर जांगिड पुत्र श्री कैदार प्रसाद, जाति जांगिड, उम्र 45 वर्ष, निवासी प्लाट नं. 156 राजनगर

ए, बजरिया, सवाई माधोपुर का निवासी हूँ। मैं जयपुर डिस्कॉम में सिविल कान्ट्रेक्टर हूँ। मैंरी फर्म का नाम पूजा कन्शक्ट्रशन है। मुझे जयपुर डिस्काम से xen बौंली की बिल्डिंग बनाने का वर्क आर्डर मिला था, जिसका क्रमांक xen/civil/jpd/tonk दिनांक 03.05.2023 वर्क आर्डर नम्बर 97 है। मैं xen बौंली की बिल्डिंग का निर्माण कार्य कर रहा था तथा बिल्डिंग की छत दो–तीन में डलनी है। जिसके लिये मुझे बजरी की आवश्यकता होने से मैने रवान्ना से बजरी डलवायी थी। जिसका रवान्ना भी मेरे पास है। दिनांक 07.12.2023 को को खनिज विभाग के अधिकारी अजय प्रकाश सिंह मेरी साईड बौली पर आये थे और उक्त बजरी के ढेर को अवैध बजरी बताकर कार्यवाही का भय दिखाकर मुझसे एक लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत राशि नही देना चाहते है। बल्कि उसको रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथ पकडवाना चाहते है। मेरी अजय प्रकाश सिंह से कोई पुरानी रंजिश नही है। प्रार्थी श्री उमाशंकर जांगिड पुत्र श्री कैदार प्रसाद, जाति जांगिड, उम्र 45 वर्ष, निवासी राजनगर ए, बजरिया, सवाई माधोपुर। मोबाईल नम्बर 9694375790 उपरोक्त लिखित रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुये परिवादी श्री उमाशंकर से लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो उसके द्वारा रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताया एवं परिवादी उमाशंकर बताया की अजय प्रकाश सिंह ने मुझसे कहा की मैं आपसे अपने आप सम्पर्क कर लूंगा, जब आप मेरे पास आ जाना। परिवादी ने बताया की जब भी अजय प्रकाश सिंह मेरे से सम्पर्क करेगा तब मैं आपसे जरिये मोबाईल सम्पर्क कर लूंगा। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाता है जिसका विभागीय नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है।

"कार्यवाही पुलिस"

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 07.12.2023 समय 05:30 ए.एम. पर परिवादी श्री उमाशंकर उक्त हस्त लिखित रिपोर्ट के साथ उपस्थित कार्यालय आया है। प्रार्थी ने बताया की मैंरी फर्म का नाम पूजा कन्शक्ट्रशन है। मुझे जयपुर डिस्काम से xen बौंली की बिल्डिंग बनाने का वर्क आर्डर मिला था, जिसका क्रमांक xen/civil/jpd/tonk दिनांक 03.05.2023 वर्क आर्डर नम्बर 97 है। मैं xen बौंली की बिल्डिंग का निर्माण कार्य कर रहा था तथा बिल्डिंग की छत दो–तीन में डलनी है। जिसके लिये मुझे बजरी की आवश्यकता होने से मैने रवान्ना से बजरी डलवायी थी। जिसका रवान्ना भी मेरे पास है। दिनांक 07.12.2023 को को खनिज विभाग के अधिकारी अजय प्रकाश सिंह मेरी साईड बौली पर आये थे और उक्त बजरी के ढेर को अवैध बजरी बताकर कार्यवाही का भय दिखाकर मुझसे एक लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। परिवादी ने मजिद दरियाप्त पर बताया की रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताया एवं परिवादी उमाशंकर बताया की अजय प्रकाश सिंह ने मुझसे कहा की मैं आपसे अपने आप सम्पर्क कर लूंगा, जब आप मेरे पास आ जाना। परिवादी ने बताया की जब भी अजय प्रकाश सिंह मेरे से सम्पर्क करेगा तब मैं आपसे जरिये मोबाईल सम्पर्क कर लूंगा। मजिद दरियाप्ता से मामला लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेन–देन का पाया गया है।

इसके उपरान्त समय 05:45 पी.एम पर कार्यवाहक मुख्य आरक्षक श्री रमेश कुमार कानि. से कार्यालय आलमारी से विभागीय वॉईस रिकार्डर निकलवा कर परिवादी श्री उमाशंकर से परिचय करवाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के लिए विभागीय वॉईस रिकार्डर को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाई गई। इसके पश्चात समय 06:00 पी.एम. पर परिवादी को मुनासिफ हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया।

इसके उपरान्त समय 09:01 पी.एम. पर परिवादी उमांशकर ने जरिये व्हाटसेप कॉल मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की मुझे अजय प्रकाश सिंह ने हम्मीर सर्किल के वहां पर बुलाया है। इस पर परिवादी को ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर में पहुंचने की हिदायत की गई तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रमेश कुमार कानि. को जरिये व्हाटसेप कॉल कर ब्यूरो कार्यालय में पहुंचने की हिदायत की गई। इसके पश्चांत समय करीबन 09:20 पी.एम. पर परिवादी उमांशकर व रमेश कुमार कानि. ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित है, रमेश कुमार कानि. से कार्यालय आलमारी से विभागीय वॉईस रिकार्डर निकलवा कर परिवादी श्री उमाशंकर से परिचय करवाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के लिए विभागीय वॉईस रिकार्डर को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाकर गई। वॉईस रिकार्डर को श्री रमेश कुमार कानि. 469 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी को आरोपी के पास हम्मीर सर्किल सवाई माधोपुर पहुंचने से पूर्व वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत मांग

सत्यापन संबंधी वार्ता होने के बाद परिवादी के वापिस आने पर वॉईस रिकार्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे तथा वापस कार्यालय में आकर पेश करें। तत्पश्चात समय करीबन 09:30 पी.एम पर परिवादी उमांशकर एवं श्री रमेश कुमार कानि. को परिवादी के निजी वाहन से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के कहे अनुसार हम्मीर सर्किल सवाई माधोपुर के लिए बाद हिदायत रवाना किया गया। जो समय करीबन 11:00 पी.एम. पर उपस्थित कार्यालय आये और परिवादी श्री उमाशंकर ने बताया कि मैं और रमेश कानि. आपके कार्यालय से मेरे प्राईवेट वाहन से रवाना होकर हम्मीर सर्किल के पास पहुंचे जहां रमेश कानि. ने वाईस रिकार्डर चालू कर अपना परिचय बोलकर वाईस रिकार्डर काले धागे से मेरे गले में लटका दिया, जिस पर मैं वहां से रवाना होकर हम्मीर सर्किल पर होटलों के सामने खडा हो गया, इसके कुछ समय पश्चात अजय प्रकाश सिंह मेरे पास आया और हम दोनो के बीच सरकारी बिल्डिंग बनाने बाबत डाली गयी बजरी के बारे में बातचीत होने लग गयी, मैंने उनको बजरी का रवान्ना बताया तो उन्होने कहा की उन रवान्ना को मानते हुये भी पूजा कन्ट्रक्शन कम्पनी के नाम पर जो मौके पर माल गिरा है, उसकी रायल्टी के अलावा लगभग 2.75 लाख की पैलेन्टी बनती है और इससे भी कम करें तो 2.25 लाख रूपये की पैनेल्टी बनती है, तब मैने उनसे समाधान कर रास्ता दिखाने हेतु कहा तब अजय प्रकाश सिंह ने कहा की 1 खर्च करिये, कब करोगे हम तो एक की कह रहे है तब मैने उनसे कहा की एक हजार रूपये तो उन्होने मेरे से कहा की एक लाख इस पर मैने कहा की कुछ कम करों तब अजय प्रकाश जी ने कहा की 50 कर दीजिए। सुबह दे देना, कल सुबह मेरे ड्राईवर को दे देना, जिस पर मैने कहा की तीस ले आउं तो उन्होने 40 हजार फाईनल कर दिये। इसके पश्चात में वहां से रवाना होकर रमेश जी के पास आ गये जहां पर रमेश जी ने वाईस रिकार्डर बन्द कर अपने पास रख लिया। मैने मेरे व अजय प्रकाश सिंह के मध्य हुई वार्ता के बारे में रमेश जी को भी बताया। इसके पश्चात मैं व रमेश जी वहां से रवाना होकर आपके कार्यालय आ गये। इसके बाद श्री रमेश कुमार कानि. ने पूछने पर परिवादी के कथनो की ताईद की व रिकॉर्डर अपने पास बन्द हालत में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया, जिसको स्वंय के पास सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात समय करीबन 11:15 पी. एम. पर परिवादी के समक्ष रमेश कुमार कानि. से डिजीटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप से अटैच करवा कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर की सहायता से सुना गया तो परिवादी उमाशंकर जागिंड एवं आरोपी अजय प्रकाश सिंह के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी द्वारा दिनांक 08.12.23 को रिश्वत राशि लेने पर सहमत होने सम्बंधी वार्ता डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड होना पाई गई। डिजीटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वंय के पास रखा गया। रिश्वत मांग सत्यापन की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं डब पेन ड्राईव, डी.वी.डी. पृथक से तैयार की गई। इसके पश्चात समय करीबन 11:55 पी.एम. पर परिवादी श्री उमाशंकर को दिनांक 08.12.2023 को प्रातः 08.00 ए.एम. पर मय रिश्वति राशि 40,000/– रूपये के ब्यूरो कार्यालय सवाईमाधोपुर में उपस्थित होने हेतु मुनासिफ हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया।

इसके उपरान्त दिनांक 08.12.2023 समय करीबन 08:00 ए.एम. पर परिवादी उमाशंकर जांगिड उपस्थित कार्यालय आया एवं बताया की आरोपी अजय प्रकाश सिंह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि चालीस हजार रूपये की व्यवस्था कर अपने साथ लाया हूँ। इस पर परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। इसके पश्चात समय करीबन 08:10 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय हाजा के श्री रामकेश कानि. को मुनासिब हिदायत कर कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर के पदनाम से तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह हमराह लाने हेतु रवाना किया जो समय करीबन समय 08.30 ए.एम पर कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अपने साथ दो स्वतंत्र गवाह हमराह लेकर आया जिनसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उन्होने अपना पता क्रमशः 1. श्री बबलूराम यादव पुत्र श्री अनिल कुमार यादव, जाति अहीर उम्र 27 वर्ष, निवासी गांव आमोट, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर, हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर 2. श्री नरसी प्रजापत पुत्र श्री कैलाश प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 26 वर्ष, निवासी प्रतापनगर जयपुर, हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल सरंक्षण ईकाई सवाई माधोपुर होना बताया तथा पूर्व से कार्यालय में उपस्थित परिवादी उमाशंकर जांगिड से दोनों स्वतंत्र गवाहान

का आपसी परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट स्वतन्त्र गवाहान को पढवाई गई। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी मौखिक सहमती दी तथां परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

इसके उपरान्त समय करीबन 08:40 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री उमाशंकर जांगिड से मांगने पर अजय प्रकाश सिंह के कहे अनुसार उसके ड्राईवर को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 500–500 रूपये के कुल 80 नोट अर्थात कुल 40,000/–रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर पेश किये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	500 रूपये के नोट	4BP 217864
2.	500 रूपये के नोट	6LN 254282
3.	500 रूपये के नोट	2ST 698202
4.	500 रूपये के नोट	4NC 912953
5.	500 रूपये के नोट	0UW 842966
6.	500 रूपये के नोट	2KN 184886
7.	500 रूपये के नोट	7BD 284237
8.	500 रूपये के नोट	2PK 397025
9.	500 रूपये के नोट	8WE 764466
10.	500 रूपये के नोट	4QE 115575
11.	500 रूपये के नोट	8KC 386648
12.	500 रूपये के नोट	1VQ 326437
13.	500 रूपये के नोट	7SA 953023
14.	500 रूपये के नोट	8AC 285374
15.	500 रूपये के नोट	0BT 185502
16.	500 रूपये के नोट	5CS 925062
17.	500 रूपये के नोट	4GW 945983
18.	500 रूपये के नोट	7KU 365393
19.	500 रूपये के नोट	8BV 588791
20.	500 रूपये के नोट	5AT 531894
21.	500 रूपये के नोट	0GP 320719
22.	500 रूपये के नोट	5LG 337167
23.	500 रूपये के नोट	1DK 712319
24.	500 रूपये के नोट	3QU 747349
25.	500 रूपये के नोट	2PT 279186
26.	500 रूपये के नोट	4DC 549575
27.	500 रूपये के नोट	3RU 640111
28.	500 रूपये के नोट	3PQ 723060
29.	500 रूपये के नोट	7QL 725109
30.	500 रूपये के नोट	7UB 747438
31.	500 रूपये के नोट	0AP 347529
32.	500 रूपये के नोट	0AP 578773
33.	500 रूपये के नोट	1FH 790349
34.	500 रूपये के नोट	2UD 041003
35.	500 रूपये के नोट	4FE 288644
36.	500 रूपये के नोट	7BR 441535
37.	500 रूपये के नोट	4HE 501000
38.	500 रूपये के नोट	9WM 132435
39.	500 रूपये के नोट	3KR 499136
40.	500 रूपये के नोट	3BN 146540

41.	500 रूपये के नोट	5NG 353263
42.	500 रूपये के नोट	3GA 325924
43.	500 रूपये के नोट	5AC 082774
44.	500 रूपये के नोट	1NF 699237
45.	500 रूपये के नोट	8BP 465340
46.	500 रूपये के नोट	4HS 054957
47.	500 रूपये के नोट	8DN 504824
48.	500 रूपये के नोट	4CV 225377
49.	500 रूपये के नोट	6BR 033929
50.	500 रूपये के नोट	3NA 137611
51.	500 रूपये के नोट	2WE 088009
52.	500 रूपये के नोट	8PA 257331
53.	500 रूपये के नोट	0UK 599346
54.	500 रूपये के नोट	9FQ 625137
55.	500 रूपये के नोट	7ED 633311
56.	500 रूपये के नोट	6NS 087624
57.	500 रूपये के नोट	0NE 924772
58.	500 रूपये के नोट	9EM 478101
59.	500 रूपये के नोट	7RD 175502
60.	500 रूपये के नोट	0TW 695096
61.	500 रूपये के नोट	9BT997692
62.	500 रूपये के नोट	7DR134243
63.	500 रूपये के नोट	7VL159696
64.	500 रूपये के नोट	9CP228209
65.	500 रूपये के नोट	5HS681184
66.	500 रूपये के नोट	4CV120021
67.	500 रूपये के नोट	6FP799208
68.	500 रूपये के नोट	3HU136868
69.	500 रूपये के नोट	4SF542777
70.	500 रूपये के नोट	9QB134412
71.	500 रूपये के नोट	6BV655548
72.	500 रूपये के नोट	1GD267056
73.	500 रूपये के नोट	2HF987670
74.	500 रूपये के नोट	9TN983152
75.	500 रूपये के नोट	1AE599618
76.	500 रूपये के नोट	6FR188948
77.	500 रूपये के नोट	8FK383843
78.	500 रूपये के नोट	1DD235538
79.	500 रूपये के नोट	2HL639339
80.	500 रूपये के नोट	8SS300423

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नोटो के नम्बर फर्द में अंकित करवाये गये। तत्पश्चात श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से मालखाने में रखे फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा मंगवाया जाकर प्रदीप गुर्जर क0स0 से एक अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 40,000/–रूपये के उपरोक्त नोटों पर भली–भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री उमाशंकर की जामा तलाशी गवाह श्री बबलूराम यादव से लिवाई गई तो उनके पास पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद प्रदीप गुर्जर से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 40,000/–रूपयो को परिवादी की पहने हुये नीले कलर के कोट के नीचे की दांयी तरफ की जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईश की गई कि आरोपी से हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो आरोपी को हाथ जोडकर अभिवादन करे। अब पाऊडर युक्त रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर

ही उक्त राशि निकालकर उसे देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि को प्राप्त करके कहां रखते है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने गले मे रखे मफलर को हाथ में लेकर या मोबाईल से सूचित करे। इसके बाद दोनों गवाहों को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का यथासम्भव प्रयास करें। इसके बाद गवाह श्री नरसीलाल से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल में पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से गवाह नरसीलाल से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गवाह से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थित हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त पारदर्शी डिस्पोजल के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले प्रदीप गुर्जर के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थित हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनाफथलीन पाउडर के डिब्बे के ढक्कन को बंद करवाकर मालखाने में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बे को ट्रेप बॉक्स में गवाह नरसीलाल के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद प्रदीप गुर्जर से पारदर्शी डिस्पोजल के धोवन को फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार व पारदर्शी डिस्पोजल को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, प्रदीप गुर्जर व दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी के दोनो हाथों को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद परिवादी को छोडकर उपरोक्त की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो दोनो गवाह के पास मोबाईल फोन तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी उमाशंकर जांगिड को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई।

इसके उपरान्त समय करीबन 09:45 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को अपने निजी वाहन से रवाना कर उसके पीछे–पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान नरसीलाल व बबलूराम, रमेश कुमार कानि., भोलाराम कानि., रामकेश कानि. के जरिये प्राईवेट वाहन से रवाना हुये तथा श्री विवेक सोनी पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता श्री हम्मीर सिंह कानि., श्री राजवीर सिंह कानि को जरिये प्राईवेट वाहन के आरोपी अजय प्रकाश सिंह के सम्भावित निवास स्थान की तलाशी हेतु रवाना किया। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री प्रदीप गुर्जर को मुनासिफ हिदायत कर कार्यालय में छोडा गया। इसके पश्चात समय करीबन 10.00 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादी मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा हम्मीर सर्किल सवाई माधोपुर के पास पहुंचा। निजी वाहनो को सडक के किनारे सुरक्षित खडा करवाया जाकर परिवादी श्री उमाशंकर को आरोपी अजय प्रकाश सिंह व उसके ड्राईवर को रिश्वत राशि देने हेतु आवश्यक हिदायत कर वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर दिया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान के परिवादी के नियत ईशारे के इन्तजार में अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकीम हुये। तत्पश्चात समय करीबन 10.15 ए.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहान मय हमराहीयान के परिवादी के नियत ईशारे की प्रतिक्षा में मुकीम थे, इसी दौरान एक सफेद रंग की बोलेरो आर.जे 11 यूए 3576 परिवादी के पास आकर रूकी, जिसके अन्दर चालक सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आया, जो परिवादी को बोलेरो गाडी में बिठाकर वहां से करीबन 200 मीटर दूर सर्किट हाउस रोड ले जाकर सडक किनारे खडा हो गया। जिसका मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के प्राईवेट वाहन से पीछा करते हुये बोलेरो गाडी से करीबन 50 मीटर पीछे नियत ईशारे की प्रतिक्षा में मुकीम हुये।

इसके उपरान्त समय करीबन 10.20 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री उमाशंकर ने रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा किया। इस पर

मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व हमराहीयान के परिवादी उमाशंकर जांगिड के पास पहुंचा। जहां पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता ने देखा तो बोलरो गाडी की ड्राईवर सीट पर एक व्यक्ति जिसके हाथ में पांच–पांच सो के नोटो को गिनते हुये नजर आया तथा आगे की सीट पर परिवादी उमाशंकर बेठा हुआ नजर आया। इस पर परिवादी से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा परिवादी ने बताया कि यही अजय प्रकाश सिंह का ड्राईवर आलोक सिंह है। जिन्होने मेरे से अजय प्रकाश सिंह के कहे अनुसार रिश्वत राशि 40,000/– रूपये लेकर अपने हाथों से गिन रहे है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के बताये अनुसार बोलेरो गाडी की ड्राईवर सीट पर पैसे गिनते हुये बैठे व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम घबराते हुये आलोक सिंह पुत्र मलखान सिंह उम्र 27 वर्ष, राजपूत निवासी झिरी, पुलिस थाना सरमथुरा, जिला धोलपुर होना बताया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आलोक सिंह को परिवादी श्री उमाशंकर से 40,000/–रूपये किस बात के लिए है बाबत पूछा तो आलोक सिंह ने बताया कि अजय प्रकाश सिंह जी जिन्हे हम ए. पी.सिंह कहते है, उन्होने आज सुबह लगभग 9–9.30 ए.एम पर मुझे राज विहार कॉलोनी सवाईमाधोपुर अपने निवास पर बुलाकर कर कहा था कि मुझे 9694375790 नम्बर देकर कहा की इस नम्बर पर कॉल कर लो और यह आपको हम्मीर सर्किल सवाईमाधोपुर पर पचास हजार रूपये देगें जो फटाफ़ट लेकर आ जाओ। मुझे यह नही बताया की यह पैसे किस चीज के है। मैं बजरी ऑफिस सवाईमाधोपुर में ड्राईवर का काम करता हूँ। मुझे कल दिनांक 07.12.2023 को भी ए.पी. सिंह जी ने हम्मीर सर्किल से ले जाने के लिये बुलाया था, तो मैं उनको लेने हम्मीर सर्किल पहुंचा जहां पर ये दोनो आपस में बाते कर रहे थे। मुझे यह नही पता की इनकी बात किस मेटर पर हो रही थी। मैं अपनी सीट पर ही बैठा था। इनकी बाते खत्म होने पर मैं ए.पी. सिंह जी को वहां से लेकर निवास पर छोड दिया था। मैं इससे पहले उमाशंकर को जानता भी नही था। इस पर पास ही बैठे परिवादी ने आलोक सिंह की बातो का खण्डन करते हुये बताया की कल दिनांक 07.12.2023 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन के अजय प्रकाश जी ने मुझे अपने ड्राईवर को पचास हजार रूपये देने बाबत कहा था तथा ड्राईवर से मेरी मुलाकात भी करवाई थी। इस पर आज मैं व आपकी टीम अजय प्रकाश सिंह जी के ड्राईवर की प्रतिक्षा में खडे थे। कुछ समय पश्चात एक सफेद रंग की बोलेरो मेरे पास आकर रूकी और मुझे अपने साथ बिठाकर सर्किट हाउस रोड की तरफ करीबन 200 मीटर दूर ले जाकर रूकी। उक्त बोलेरो चालक ने अपना नाम आलोक सिंह अजय प्रकाश सिंह का ड्राईवर होना बताया और कहा की मुझे अजय प्रकाश जी ने पचास हजार रूपये लेने भेजा है। मैने कहा की मै तो आपको जानता भी नही हूँ, आप मेरी अजय प्रकाश जी से बात करवा दो, इस पर आलोक सिंह ने अजय प्रकाश सिंह से मेरी बात करवाई थी तो उन्होने कहा की यह मेरा ड्राईवर इनको आप दे दो। इसके पश्चात मैने आलोक सिंह से कहा की चालीस में काम चल जायेगा क्या आप मेरी अजय प्रकाश सिंह से दुबारा बता करवा दो। इसके पश्चात आलोक सिंह ने कहा वो बार–बार फोन पर बात नही करते आप तो चालीस ही दे दो वो मान जायेंगे। इसके पश्चात मैने चालीस हजार रूपये निकालकर आलोक सिंह को देकर आपको रिश्वत स्वीकृति का ईसारा कर दिया। आलोक सिंह जब पैसे गिन रहा था तब आप और आपकी टीम मौके पर आ चुकी थी। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ड्राईवर आलोक सिंह से अजय प्रकाश से बात करने की कही तो आलोक ने अपने मोबाईल से अजय प्रकाश को कॉल किया किन्तु अजय प्रकाश ने कॉल रिसिव नही किया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री विवेक सोनी को उनके हमराही जाप्ता हम्मीर सिंह कानि, व राजवीर सिंह कानि. के आरोपी अजय प्रकाश सिंह को उनके निवास स्थान से डिटेन हेतु निर्देशित किया व मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व हमराही जाप्ते मय डिटेनशुदा आलोक सिंह मय रिश्वति राशि चालीस हजार के यथास्थिति बैठे रहने की हिदायत कर उक्त बोलरो गाडी से अजय प्रकाश सिंह की तलाश हेतु उसके निवास राजविहार कॉलोनी रवाना हुआ व रमेश कुमार कानि. को प्राईवेट वाहन से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पीछे–पीछे आने की हिदायत की गई। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ते मय आलोक सिंह के अजय प्रकाश सिंह के निवास स्थान पर पहुंचा, जहां पर श्री विवेक सोनी मय हमराही जाप्ते के वहां पर उपस्थित मिले। श्री विवेक सोनी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया की आपके निर्देशानुसार अजय प्रकाश सिंह को डिटेन हेतु उसके निवास स्थान पर पहुंचकर तलाश किया किन्तु उक्त निवास पर ताला लगा

होना पाया गया। वहां पर उपस्थित कुछ व्यक्तियों ने बताया की अजय प्रकाश अभी कुछ समय पहले यहां से एक गाडी में बैठकर कर चला जाना ज्ञात हुआ। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री विवेक सोनी पुलिस निरीक्षक को उक्त निवास स्थान को नियमानुसार शील्ड करने की हिदायत कर श्री विवेक सोनी के हमराह एक स्वतंत्र गवाह श्री बबलूराम यादव व हम्मीर सिंह कानि., राजवीर सिंह कानि., रामकेश कानि को आरोपी अजय प्रकाश सिंह के निवास स्थान पर छोडकर आरोपी अजय प्रकाश सिंह की तलाश व अग्रिम कार्यवाही हेतु मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह नरसीलाल, रमेश कुमार कानि., भोलाराम कानि. मय आरोपी ड्राईवर आलोक सिंह के रवाना होकर घटनास्थल हम्मीर सर्किल पर स्थित यातायात पुलिस की केबिन पर पहुंचा। इसके पश्चात समय करीबन 11.05 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी आलोक सिंह जिसके दाहिने हाथ में परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि है, जिसको सीधे ही स्वतन्त्र गवाह श्री नरसीलाल को दिलवायी जाकर गवाह से गिनवाये गये तो 500–500 रू. के 80 नोट कुल 40,000/–रू. होना पाये गये, जिनका मिलान एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो हुबहु वही नम्बरी नोट पाये गये। रिश्वती राशि 40,000/–रूपये के नम्बरी नोटो को बतौर बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भोलाराम कानि. से प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाया जाकर उसमें से दो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल निकलवाकर यातायात पुलिस की केबिन में रखे पानी के केम्पर में से एक प्लास्टिक की बोतल में पानी भरवाकर उक्त दोनो डिस्पोजल को उचित दूरी पर टेबिल पर रखवाकर बारी–बारी से पानी डलवाया गया तथा ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवा कर उसमें से एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त दोनो डिस्पोजलों में डलवा कर चम्मच से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी आलोक सिंह ड्राईवर के दाहिने हाथ व बाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो दोनो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो–दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर दाहिने हाथ के धोबन की शीशी को मार्क आर–1 व आर –2 एवं बांये हाथ की धोबन की शीशी को मार्क एल–1 व एल–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद भोलाराम कानि. से उक्त दोनो डिस्पोजल को नष्ट करवाया गया। इसके बाद परिवादी श्री उमाशंकर जांगिड को सुपुर्द शुदा विभागीय वाईस रिकार्डर जो पूर्व में प्राप्त किया गया था, जो मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित है को लेपटॉप में कनेक्ट करवा कर उक्त वार्ता को चालू कर ईयरफोन लगा कर सुना गया तो परिवादी उमाशंकर जांगिड एवं आरोपी आलोक सिंह ड्राईवर (प्राईवेट) के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। वाईस रिकार्डर को स्वंय के पास सुरक्षित रखा गया। वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद परिवादी उमाशंकर व आरोपी आलोक सिंह से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। फर्द पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

इसके उपरान्त समय करीबन 12.30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वंतत्र गवाह श्री नरसीलाल मय आरोपी आलोक सिंह ड्राईवर मय जाप्ता भोलाराम कानि., रमेश कुमार कानि. मय ट्रेप बाक्स लेपटॉप, प्रिन्टर मय शील्डशुदा रिश्वति राशि, मय शील्डशुदा चार शीशीयों मय उपकरण के मय सफेद रंग की बोलेरो आर.जे 11 यूए 3576 के बाद फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वति राशि कार्यवाही के पश्चात यातायात केबिन हम्मीर सर्किल सवाई माधोपुर से ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर के लिये रवाना होकर समय 12.45 पी.एम पर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पहुंचे। जहां पर ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्डशुदा शीशीया व वजह सबूत रिश्वत राशि 40,000/–रूपये को श्री रमेश कुमार कानि. को उक्त माल सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया। इसके पश्चात समय करीबन 01.20 पी.एम. पर श्री विवेक सोनी मय जाप्ता श्री हम्मीर सिंह, रामकेश, राजवीर सिंह व स्वतंत्र गवाह बबलूराम यादव के ब्यूरो चौकी उपस्थित आये और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया की मन पुलिस निरीक्षक ने हमराही जाप्ते की

मदद से आरोपी अजय प्रकाश सिंह के निवास स्थान के आस पास तलाश पतारसी करवाई गई किन्तु आरोपी को शायद ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने से वह फरार हो गया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह बबलूराम यादव व हमराही जाप्ता श्री रामकेश कानि., हम्मीर सिंह कानि. व राजवीर सिंह कानि. के मकान नम्बर 23 राज विहार कॉलोनी पर पहुंचा। जहां पर उक्त मकान के प्रथम तल पर आरोपी अजय प्रकाश सिंह का निवास होना ज्ञात हुआ। उक्त कमरे पर ताला लगा होने से उक्त कमरे की सर्च की कार्यवाही नही ली जाने से उक्त कमरे को रूबरू गवाह बबलूराम यादव व रामकेश कानि की मौजूदगी मे उक्त कमरे के ताले को शील चपडी किया गया तथा दरवाजे के मुख्य पृष्ठ पर एक नोटिस चस्पा किया गया। बाद कार्यवाही आरोपी अजय प्रकाश के निवास स्थान से रवाना होकर ब्यूरो चौकी उपस्थित आये। इस पर श्री विवेक सोनी पुलिस निरीक्षक ने फर्द सील रहवासी निवास स्थान मकान नं. 23 राजविहार कॉलोनी सवाई माधोपुर की फर्द मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की जिसको बाद अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात समय करीबन 02.00 पी.एम.: पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी उमाशंकर, श्री रमेश कुमार कानि. के घटनास्थल का नक्शा मौका की कार्यवाही हेतु हम्मीर सर्किल सवाई माधोपुर रवाना होकर घटनास्थल हम्मीर सर्किल सवाई माधोपुर पहुंचा। जहां पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी उमाशंकर जांगिड की निशादेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका कशीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात समय करीबन 02.45 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी उमाशंकर मय रमेश कुमार कानि. के बाद नक्शा मौका व हालात मौका के घटनास्थल हम्मीर सर्किल सवाई माधोपुर से रवाना होकर ब्यूरो चौकी पहुंचा।

इसके उपरान्त समय करीबन 03.30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी आलोक सिंह पुत्र मलखान सिंह उम्र 27 वर्ष, राजपूत निवासी झिरी, पुलिस थाना सरमथुरा, जिला धोलपुर को जुर्म धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित 2018) अधिनियम 1988 एवं 120 बी आई.पी.सी. में लिप्त पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया। तथा गिरफ्तारी की सूचना पृथक से दी गई। इसके पश्चात समय करीबन 04.45 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी उमाशंकर जांगिड तथा आरोपी आलोक सिंह के समक्ष सफेद रंग की बोलरो गाडी आर.जे.11 यू.ए. 3576 को पृथक से जरिये फर्द जप्ती जप्त कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय करीबन 05.00 पी.एम.पर आरोपी आलोक सिंह के कहे अनुसार छोटे भाई रणजीत सिंह को जरिये मोबाईल नम्बर 8739937748 पर आरोपी आलोक सिंह की गिरफ्तारी की सूचना दी गई। इसके पश्चात समय करीबन 05.10 पी.एम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान बबूलराम यादव व नरसीलाल व रमेश कुमार कानि. मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक संजय कुमार के आरोपी अजय प्रकाश सिंह के निवास स्थान की फर्द शील तुडाई व खाना तलाशी हेतु रवाना होकर समय करीबन 05.25 पी.एम पर अजय प्रकाश सिंह के निवास स्थान मकान नम्बर 23 राजविहार कॉलोनी सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पूर्व में शील किये गये कमरे के दरवाजे पर लगे ताले की शील हटाकर ताले को तुडवाया जाकर फर्द शील तुडाई पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके उपरान्त समय करीबन 05.40 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र गवाहान बबूलराम यादव व नरसीलाल के समक्ष उक्त कमरे में प्रवेश कर नियमानुसार जरिये फर्द खाना तलाशी ली गई। जिस पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। खाना तलाशी के उपरान्त उक्त कमरे के दरवाजे पर ताला लगवाया गया तथा चाबी को अपने पास सुरक्षित रखी गई। इसके पश्चात समय करीबन 06.50 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान बबूलराम यादव व नरसीलाल व रमेश कुमार कानि. मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक संजय कुमार के अजय प्रकाश सिंह के निवास स्थान मकान नम्बर 23 राजविहार कॉलोनी सवाई माधोपुर से रवाना होकर समय करीबन समय 07.05 पी.एम. पर ब्यूरो चौकी पहुंचे तथा रमेश कुमार कानि. के मार्फत उक्त लॉक करवाये गये कमरे की चाबी को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। इसके उपरान्त समय करीबन 07.20 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी उमाशंकर जांगिड के समक्ष अभियुक्त आलोक सिंह को दौराने ट्रेप कार्यवाही वक्त रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता की ऑडियो रिकार्डिंग है। उक्त

ऑडियो के आवाज के मिलान के लिए आरोपी आलोक सिंह को आवाज का नमूना स्वतन्त्र गवाहान के सामने देने के लिए कहा गया तो आरोपी अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में साफ इन्कार कर दिया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। अभियुक्त आलोक का सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर में स्वास्थय परीक्षण करवाकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना मानटाउन में बन्द हवालात करवाया गया।

इसके उपरान्त समय करीबन 10.00 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 07.12.2023 को हुई परिवादी उमाशंकर जांगिड व आरोपी अजय प्रकाश सिंह के मध्य हुई गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, को परिवादी उमाशंकर एवं गवाहान के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.12.2023 को लेपटॉप से अटैच कर टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी एवं गवाहान के समक्ष सुन–सुन कर आवाज की पहचान परिवादी से करवाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री रमेश कुमार कानि. से टाईप करवाकर कर उक्त वार्ताओ को एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु मार्क "A" व तीन डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम प्रति 02 एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "A-1", "A-2","A-3" अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी को अनशील्ड शामिल पत्रावली की गई। इसके उपरान्त दिनांक 09.12.2023 समय करीबन 01.20 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक वक्त ट्रेप कार्यवाही वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 08.12.2023 को हुई परिवादी उमाशंकर जांगिड व आरोपी आलोक सिंह ड्राईवर (प्राईवेट) के मध्य हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकार्ड है, को परिवादी एवं गवाहान के समक्ष रिश्वत लेन–देन वार्ता को लेपटॉप से अटैच कर टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी एवं गवाहान के समक्ष सुन–सुन कर आवाज की पहचान परिवादी से करवाकर वाईस रिकार्डर में वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 08.12.2023 की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री रमेश कुमार कानि. से टाईप करवाकर तैयार कर उक्त वार्ताओ को एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु मार्क "B" व तीन डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम प्रति 02 एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "B-1", "B-2","B-3" अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी को अनशील्ड शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के अवलोकन से पाया गया कि उक्त समस्त वार्ताओं की वॉयस क्लिप डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में सेव होना पाया गया। उक्त मेमोरी कार्ड को एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सीलमोहर कर थैली पर मार्क 'SD' अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके उपरान्त समय करीबन 04.00 ए.एम. पर शील्ड शुदा दो पेन ड्राईव मार्क "A" "B" एवं शील्डशुदा चार डीवीडी मार्क "A-1","A-2", "B-1" "B-2", मैमोरी कार्ड माक SD को कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री रमेश कुमार कानि. को दुरूस्त हालत में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। इसके पश्चात समय करीबन 04.30 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 54 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त अजय प्रकाश सिंह वरिष्ठ भूवैज्ञानिक खनिज विभाग द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से दिनांक 07.12.2023 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी द्वारा किये जा रहे कार्य जयपुर डिस्कॉम एक्शन बोलीं की सरकारी विल्डिंग का निर्माण कार्य के दौरान मौके पर पडी रवान्नाशुदा बजरी को देखकर पेलेन्टी लगाने की धमकी देकर कोई कार्यवाही नही करने के एवज में एक लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग करना एवं वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 07.12.23 को आरोपी अजय प्रकाश सिंह द्वारा परिवादी से एक लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग करना तथा परिवादी द्वारा राशि कम करने की कहने पर आरोपी 50,000/– रूपये अपने ड्राईवर को देने हेतु कहा तथा उक्त मांग के अनुसंरण में दिनांक 08.

12.2023 को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी अजय प्रकाश सिंह के कहे अनुसार उसके चालक आलोक सिंह को हम्मीर सर्किल के पास सर्किट हाउस रोड पर 40,000/– रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडा गया। आरोपित अजय प्रकाश सिंह पुत्र रामजी सिंह वरिष्ठ भूवैज्ञानिक को ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने से फरार हो गया। अतः आरोपित अजय प्रकाश सिंह पुत्र रामजी सिंह, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक हाल फरार का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित 2018) अधिनियम 1988 व 120 बी भा.द.स तथा आरोपी आलोक सिंह पुत्र मलखान सिंह उम्र 27 वर्ष, राजपूत निवासी झिरी, पुलिस थाना सरमथुरा, जिला धोलपुर हाल चालक प्राईवेट वाहन बोलेरो (प्राईवेट व्यक्ति) का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित 2018) अधिनियम 1988 व 120 बी भा.द.स में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 120बी आईपीसी में आरोपीगण 1.श्री अजय प्रकाश सिंह पुत्र श्री रामजी सिंह, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, करौली अतिरिक्त चार्ज भरतपुर, धौलपुर एवं सवाईमाधोपुर खनिज विभाग 2. श्री आलोक सिंह पुत्र श्री मलखान सिंह, निवासी झिरी, पुलिस थाना सरमथुरा जिला धौलपुर हाल प्राईवेट वाहन चालक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 305/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 3135-38 दिनांक 09.12.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।